न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 01/123 दर्ज तिथि:–23.06.2021

1. लल्लू पुत्र गणेश जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

..................वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र गणेश वयस्क जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

2. उर्मिला पत्नि बाबूलाल उम्र वयस्क जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

3. हेमन्त शर्मा उम्र करीब 16 साल पुत्र रामकरण शर्मा नाबालिग बसरपरस्ती अनोखी देवी माता खुद जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

4. तीजा पत्नि सूरज वयस्क जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

5. प्रेम पत्नि फूलचन्द वयस्क जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

...............असल प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय जिला अलवर राजस्थान।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

लल्लू बनाम कन्हैया

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित.....
वादी अधिवक्ताः— श्री देवीसहाय शर्मा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः— श्री महेश शर्मा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,89
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—ःपर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क एवं नाम दुरूस्ती वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 821/0.1000 है0 (साबिक खसरा नंबर 699 रकबा 08 बिस्वा) वाके ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाजी का 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी के हाल राजस्व इंद्राज को कलमजन कर अपने हिस्से बाबत अंकन करवाकर राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को वादी की हिस्से की आराजी का उपयोग—आमदरफत करने में रूकावट व मजामहत नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:32 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 01/123

दर्ज तिथि:–23.06.2021

1. लल्लू पुत्र गणेश जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

..................वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र गणेश वयस्क जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
2. उर्मिला पत्नि बाबूलाल उम्र वयस्क जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
3. हेमन्त शर्मा उम्र करीब 16 साल पुत्र रामकरण शर्मा नाबालिग बसरपरस्ती अनोखी देवी माता खुद जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
4. तीजा पत्नि सूरज वयस्क जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
5. प्रेम पत्नि फूलचन्द वयस्क जाति बागडा ब्राहमण निवासी बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

................असल प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय जि[illegible]र राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार [illegible] तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

..............तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित........
वादी अधिवक्ता:— श्री देवीसहाय शर्मा।
प्रतिवादी अधिवक्ता:— श्री महेश शर्मा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,89
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—09.02.2023

1. आज यह राजस्व वाद पत्र बाबत इस्तकरारहक्क व नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा—88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुआ। वाद पत्र का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय में पेश कर अभिकथन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल खसरा नम्बर 821/0.1000 है0 (साबिक खसरा नंबर 699 रकबा 08 बिस्वा) वाके ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित चली आती है। उक्त आराजी में वादी व असल प्रतिवादी सहकाश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त मुतनाजा आराजी जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 66 खातेदार बिरदू, धुडाराम, कन्हैया, लल्लू को उनके पिता गणेश के फोत होने के बाद प्राप्त हुई है। उक्त विरासत नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत नाथूसर द्वारा दिनांक 13.10.1977 को चारो भाइयों के पक्ष में बहिस्सा बराबर स्वीकार किया गया था व उक्त नामान्तकरण का जमाबन्दी संवत 2036—39 में चारों भाइयों बिरदू, धुडाराम, कन्हैया, लल्लू पिता गणेश कोम बागडा ब्राहम्ण के नाम स्पष्ट रूप से आ गया था। लेकिन बाद में राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक कन्हैया को कन्हैयालाल कर दिया व लल्लू को विलोपित कर दिया अर्थात असल प्रतिवादी संख्या कन्हैया के नाम बाद जमाबन्दी में वादी लल्लू का नाम था, जिसे राजस्व कर्मचारियों ने एक जगह मिलाकर राजस्व रिकॉर्ड में कन्हैयालाल दर्ज कर दिया गया था। जिससे वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हट गया। जबकि मौके पर आज भी वादी उक्त आराजी के 1/4 भाग पर काबिज काश्तकार खातेदार चला आता है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण 1/3 हिस्सा के खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिये गये। अन्त में वादी ने निवेदन किया कि दावा वादी बाबत इस्तकरारहक्क तथा इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी लल्लू को 1/4 हिस्से का व असल प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल पुत्र गणेश को 1/4 हिस्सा का व असल प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] असल प्रतिवादी संख्या 3 हेमन्त शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा को 1/4 हिस्सा का [illegible] असल प्रतिवादी संख्या 04 तीजा पत्नि सुरज व असल प्रतिवादी संख्या 5 [illegible] फूलचंद को 1/4 हिस्सा का काश्तकार खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत तामील प्रतिवादीगण स्वयं बाद विधिवत तामील उपस्थित होकर इकबाल जबाब दावा पेश किया गया। इकबाल जबाब दावा में प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी लल्लू को 1/4 हिस्से का व असल प्रतिवादी संख्या–1 कन्हैयालाल पुत्र गणेश को 1/4 हिस्सा का व असल प्रतिवादी संख्या–2 उर्मिला पत्नि बाबूलाल व असल प्रतिवादी संख्या–3 हेमन्त शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा को 1/4 हिस्सा का तथा असल प्रतिवादी संख्या–4 तीजा पत्नि सुरज व असल प्रतिवादी संख्या–5 प्रेम पत्नि फूलचंद को 1/4 हिस्सा का काश्तकार खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाने पर प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

3. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा इकबाल जबावदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी लल्लू को 1/4 हिस्से का व असल प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल पुत्र गणेश को 1/4 हिस्सा का व असल प्रतिवादी संख्या 2 उर्मिला पत्नि बाबूलाल व असल प्रतिवादी संख्या 3 हेमन्त शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा को 1/4 हिस्सा का तथा असल प्रतिवादी संख्या 04 तीजा पत्नि सुरज व असल प्रतिवादी संख्या 5 प्रेम पत्नि फूलचंद को 1/4 हिस्सा का काश्तकार खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

4. दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी लल्लू को 1/4 हिस्से का व असल प्रतिवादी संख्या–1 कन्हैयालाल पुत्र गणेश को 1/4 हिस्सा का व असल प्रतिवादी संख्या–2 उर्मिला पत्नि बाबूलाल व असल प्रतिवादी संख्या–3 हेमन्त शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा को 1/4 हिस्सा का तथा असल प्रतिवादी संख्या–4 तीजा पत्नि सुरज व असल प्रतिवादी संख्या–5 प्रेम पत्नि फूलचंद को 1/4 हिस्सा का काश्तकार खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाने पर प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

5. मैनें वादी अधिवक्ता द्वारा की गई [illegible] किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ब[illegible]कन पाया गया कि हाल जमावन्दी संवत् 2076–79 वाके ग्रा[illegible]सर तहसी[illegible]गाजी जिला अलवर के खाता संख्या–04 के अनुसार हाल [illegible] रिकॉर्ड [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	श्रेणी	जाति	खसरा	रकबा
1.	उर्मिला पत्नि बाबूलाल	1/6				
2.	कन्हैया लाल पुत्र गणेश	1/3				
3.	तीजा पत्नि सूरज	1/6	खातेदार	बागडा ब्राहमण	821	0.10 है0
4.	प्रेम पत्नि फूलचंद	1/6				
5	नाबालिग हेमन्त शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा संरक्षक सरपरस्त माता खुद अनोखी देवी	1/6				
कुल किता व रकबा					01	0.10 है0

6. प्रकरण में नामान्तकरण संख्या–66 वाके ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर के अनुसार रिकॉर्ड इस प्रकार है:–

पूर्व की प्रविष्टि	पश्चात् की प्रविष्टि
गणेश वल्द सुखराम कौम बागडा ब्राहमण साकिन देह खातेदार	*बिरदू, धूडाराम, कन्हैया, लल्लू पिसरान गणेश कौम बागडा ब्राहमण साकिन देह खातेदार*

7. प्रकरण में खाता संख्या–76 तथा 77 जमाबन्दी संवत् 2036–39 वाके ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर के अनुसार रिकॉर्ड इस प्रकार है:–

क्र.सं.	खातेदार	जाति	खसरा	रकबा
1	बिरदू, धूडाराम, कन्हैया, लल्लू पिसरान गणेश साकिन देह खातेदार	कौम बागडा ब्राहमण		08 बिस्वा/0.10 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

8. प्रकरण में खाता संख्या–76 तथा 77 जमाबन्दी संवत् 2036–39 वाके ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाजी जिला अलवर के अनुसार रिकॉर्ड इस प्रकार है:–

क्र.सं.	खातेदार	जाति	खसरा	रकबा
1	बिरदू, धूडाराम, कन्हैयालाल पिसरान गणेश साकिन देह खातेदार	कौम बागडा ब्राहमण	699	08 बिस्वा / 0. 10 है0

9. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा इकबाल जबाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा इकबाल जबाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निस्तारित किये जाने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–1 का उद्धरण इस प्रकार है:–

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. *Parties not at issue. —Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.*

10. प्रकरण में इस प्रकार नामान्तकरण संख्या–66 वाके ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाजी के द्वारा मुतनाजा आराजी की विरासत वादी के हिस्से 1/4 पर स्वीकृत हुई। जिसका अमलखाता संख्या–76 तथा 77 जमाबन्दी संवत् 2036–39 वाके ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाजी पर हो गया। परन्तु बाद में साबिक राजस्व रिकॉर्ड से वादी का नाम मुताबिक जमाबन्दी संवत्–2045 द्वारा हजफ कर दिया गया। जबकि साबिक राजस्व इन्द्राज को यथावत रखा जाना चाहिए था। अतः उक्त मुतनाजा आराजी पर वादी लल्लू को 1/4 हिस्से का व असल प्रतिवादी संख्या 1 कन्हैयालाल पुत्र गणेश को 1/4 हिस्सा का व असल प्रतिवादी संख्या 2 उर्मिला पत्नि बाबूलाल व असल प्रतिवादी संख्या 3 हेमन्त शर्मा पुत्र रामकरण शर्मा को 1/4 हिस्सा का तथा असल प्रतिवादी संख्या 04 तीजा पत्नि सूरज व असल प्रतिवादी संख्या 5 प्रेम पत्नि फूलचंद को 1/4 हिस्सा का काश्तकार खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क एवं नाम दुरूस्ती वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 821/0.1000 है0 (साबिक खसरा नंबर 699 रकबा 08 बिस्वा) वाके ग्राम बिहारीसर तहसील थानागाजी का 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादी को उक्त आराजी के हाल राजस्व इंद्राज को कलमजन कर अपने हिस्से बाबत अंकन करवाकर राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को वादी की हिस्से की आराजी का उपयोग–आमदरफत करने में रूकावट व मजामहत नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 09.02.2023 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner